

फर्द अहकाम

खेमचन्द

बनाम

सरिया


न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र

138/2024

खेदवाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

विशेष विवरण	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.03.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 14 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं० 1 लगायत 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 43, 46, 49, 57, 59 कुल किता 5 कुल रकबा 0.8472 है० स्थित ग्राम केल्यावाला, पटवार हल्का करणगढ भू०अ०नि० तूंगा तह० तूंगा जिला जयपुर व ख०नं० 3 रकबा 2.5416 है० स्थित ग्राम नगराजपुरा, पटवार हल्का करणगढ भू०अ०नि० तूंगा तह० तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 150/2024 उनवान खेमचन्द बनाम सरिया के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला जयपुर

उपास्वित।
री ठेकर
11/25 केपेश
34/1/24
05/1/25
1/1/25
उपास्वित।
की हेतु दिनांक
उपास्वित।
दिनांक